न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. निगरानी/एलआर/5318/2006/झुंझुनु

1– बीरबल पुत्र फुसिया,
2– रामेश्वर पुत्र परतियां,
3– गोकुल पुत्र मांगीया,
समस्त जाति अहीर, निवासीगण ग्राम ढाणी सागडू तन सिहोड़, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनु।

.....पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुंझुनु।

.....गैर पुनरीक्षणकर्ता/अप्रार्थी

2. अपील/एलआर/ 5385/2006/झुंझुनु

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी जिला झुंझुनु।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– बीरबल पुत्र फुसिया,
2– रामेश्वर पुत्र परतियां,
3– गोकुल पुत्र मांगीया,
समस्त जाति अहीर, निवासीगण ग्राम ढाणी सागडू तन सिहोड़, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनु।

.....प्रत्यर्थीगण

एकल–पीठ
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

1. श्री एस.पी. सिंह चौधरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, उप राजकीय अभिभाषक।

निगरानी/ एलआर/ 5318/ 2006/ झुंझुनु
अपील/ एलआर / 5385/ 2006/ झुंझुनु

निर्णय

दिनांकः– 18–07–2023

1– हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 सपठित धारा 9 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत एवं हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर केम्प झुंझुनु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चूंकि उक्त दोनों प्रकरणों में न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनु द्वारा एक ही निर्णय पारित किया गया है तथा प्रकरण की विषय विवाद बिन्दु व पक्षकारान भी समान है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा भी उक्त दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

2– हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के आवेदन पर ग्राम सिहोड में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1175 रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (बजरी धोने का प्लाण्ट) के लिये संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29–10–2005 को पारित किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रार्थीगण द्वारा चालान राशि राजकोष में जमा करवा दी गई, किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण को बिना सुने पुनरावलोकन के जरिये आदेश दिनांक 16–6–2006 से उक्त संपरिवर्तन आदेश निरस्त कर दिया, जिसकी अपील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष पेश की गई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–8–2006 द्वारा योग्य अदालत मातहत का निर्णय अपास्त करते हुए इस आदेश का प्रचलन अपील अवधि अर्थात् 90 दिवस (8–11–06) तक स्थगित कर दिया, जिससे व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका संख्या 5318/2006 निर्णय दिनांक 11–8–2006 में अंकित ‘‘आदेश का प्रचलन अपील अवधि अर्थात् 90 दिवस तक स्थगित करने की हद तक’’ मण्डल के समक्ष पेश की है। इसी तरह अपील संख्या 5385/

2006 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनु के संपूर्ण निर्णय दिनांक 11–8–2006 के विरूद्ध अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी पुनरीक्षण याचिका संख्या 5318/2006 के समर्थन में दौराने बहस कथन किया कि 90 दिवस तक निर्णय स्थगित किये जाने बाबत् सरकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया था। जबकि आदेश 41 नियम 5 (2) व (3) जाब्ता दीवानी में वर्णित कानूनी प्रावधान के अनुसार आवेदन पेश करना आज्ञापक प्रावधान है। उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु के आधार पर स्थगित करने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थीगण ने संपरिवर्तन आदेश की पालना में समस्त राशि राजकोष में जमा करवा दी तथा लाखों रूपये खर्च करके बजरी धोने का प्लाण्ट भी लगा दिया। इस निर्णय को स्थगित रखने से प्रार्थीगण का प्लाण्ट एवं मशीनरी खराब हो जायेगी। प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई का मौका नहीं दिया गया एवं संपरिवर्तन आदेश निरस्त किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 16–6–2006 तो निरस्त कर दिया, किन्तु उसकी क्रियान्विती 90 दिवस अर्थात् अपील करने तक स्थगित कर दी, जो गैर कानूनी है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश स्थगित किये जाने की हद तक निरस्त किया जाये।

उपरोक्त तर्कों के प्रत्युत्तर में उप राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के संपूर्ण निर्णय दिनांक 16–6–2006 को निरस्त करने का निवेदन किया।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपील संख्या 5385/2006 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 29–10–2005 द्वारा 1/– रूपये की कीमत पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ (ईंट भट्टा) हेतु 1000/– वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन किया गया था, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश में फर्जीवाड़ा कर औद्योगिक के स्थान पर वाणिज्यिक एवं ईंट भट्टे के स्थान पर बजरी धोने का प्लाण्ट अंकित

कर दिया। जबकि विवादित भूमि का संपरिवर्तन औद्योगिक प्रयोजनार्थ (ईट भट्टे) हेतु किया गया है। प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण बीरबल वगैरह संपरिवर्तन आदेश में कांट–छांट कर औद्योगिक(ईट भट्टा) के स्थान पर वाणिज्यिक (बजरी धोने का प्लाण्ट) अंकित कर दिया। बजरी दोहन के कारण आस–पास के ग्रामीण वासियों द्वारा आपत्ति, प्रदर्शन, धरने आदि एवं शांति व्यवस्था बहाल रखने को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिव्यू के जरिये संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29–10–2005 निरस्त करते हुए जमा राशि वापस करने के आदेश दिये है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील स्वीकार की जाये एवं प्रार्थी प्रत्यर्थी की पुनरीक्षण याचिका 5318/2006 खारिज की जाये तथा न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प का निर्णय दिनांक 11–8–2006 अपास्त किया जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/ 2254–58 दिनांक 29–10–2005 गग्राम सीहोड़ स्थित जमीन खसरा संख्या 1175 रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 1000 वर्ग मीटर के संबंध में एक संपरिवर्तन आदेश बीरबल, रामेश्वर व गोकुल के हक में पारित किया। उक्त संपरिवर्तन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बजरी धोने के प्लांट हेतु किया गया तथा इस संबंध में वांछित राशि आदि प्रार्थीगण से जमा करवा ली गई, जिसके पश्चात् योग्य उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी ने संबंधित जिला कलेक्टर के पत्र के अनुक्रम में प्रकरण पुनरावलोकन हेतु पुनः दर्ज कर लिया तथा प्रार्थीगण बीरबल, रामेश्वर व गोकुल को बिना सुने अपने निर्णय दिनांक 16–6–2006 से संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 2254–58 दिनांक 29–10–2005 को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण बीरबल, रामेश्वर व गोकुल द्वारा विद्वान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष अपील पेश की गई। अपील न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 11–8–2006 पारित किया। उक्त निर्णय में विद्वान अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने मुख्य रूप से यह माना है कि योग्य अदालत मातहत ने पक्षकारों को

सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा समस्त विवेचन के पश्चात् अपील न्यायालय ने योग्य उपखण्ड अधिकारी का पुनरावलोकन आदेश दिनांक 16–6–2006 अपास्त कर दिया, किन्तु साथ ही उक्त आदेश 90 दिवस हेतु स्थगित रखे जाने बाबत् आदेश पारित किया। पुनरीक्षणकर्ता बीरबल, रामेश्वर व गोकुल की ओर से केवल उक्त 90 दिवस के स्थगन आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका पेश की गई है। हालांकि 90 दिवस की अवधि व्यतीत हो चुकी है एवं उक्त स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावशील नहीं है, किन्तु प्रार्थीगण बीरबल, रामेश्वर व गोकुल के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आदेश के कारण मौके पर आज भी बजरी संयंत्र का काम नहीं हो रहा है। अतः 90 दिवस के संबंध में किया गया उक्त आदेश अपास्त करने बाबत् पुनरीक्षणकर्ता बीरबल, रामेश्वर व गोकुल के अधिवक्ता ने निवेदन किया है। अन्य पुनरीक्षण याचिका के प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जब प्रथम अपील न्यायालय ने मुख्यतः यह माना है कि प्रार्थीगण बीरबल, रामेश्वर व गोकुल को सुनवाई का अवसर दिये बिना उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था तो ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय से अपेक्षित था कि वह प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई का निर्देश देते, किन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित न कर पूर्व के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29–10–2005 को प्रभावी कर दिया, जो सही नहीं था, क्योंकि प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष संपूर्ण तथ्य ही उपलब्ध नहीं थे। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6– प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 11–8–2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील न्यायालय ने प्रमुखतः यह माना है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा इसलिये पुनरावलोकन आदेश युक्तियुक्त नहीं है। प्रथम अपील न्यायालय का उक्त निष्कर्ष सही था, किन्तु ऐसी स्थिति में अपील न्यायालय से अपेक्षित था कि वह मामले को पुनः उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी को प्रतिप्रेषित करते। जबकि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध

तथ्यों से अन्यथा विवेचन करते हुए योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया है, जो युक्तियुक्त नहीं है।

7– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार योग्य अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 11–8–2006 एवं योग्य उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी का निर्णय दिनांक 16–6–2006 अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई एवं निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः योग्य अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 11–8–2006 एवं योग्य उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी का निर्णय दिनांक 16–6–2006 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए संबंधित विधि के आलोक में प्रकरण का निस्तारण करें एवं जब तक उपखंड अधिकारी खेतडी द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाता है, तब तक उपखंड अधिकारी खेतडी का आदेश क्रमांक 2254–58 दिनांक 29–10–05 प्रभावी रहेगा।

उक्तानुसार, हस्तगत पुनरीक्षण याचिका एवं अपील निस्तारित की जाती है। उभय पक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी के समक्ष दिनांक 17–8–2023 को उपस्थित हो। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये एवं निर्णय की एक–एक प्रति पत्रावली में संलग्न की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)

सदस्य